

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(3)न्याय/2016


जयपुर, दिनांक 4 MAY 2017

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से अपर जिला न्यायाधीश, पोकरण जिला जैसलमेर का न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इसकी बैठक का स्थान पोकरण नियत करती है।

नोट:-उपरोक्त न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के तहत अपर सेशन न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से


(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2017/ 735

Dated : 06.06/2017

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RHC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.District and Session Judge, Jaisalmer.
- 3.Additional District Judge, Pokran.
- 4.Chief Judicial Magistrate, Jaisalmer.
- 5.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.


6.6.2017
REGISTRAR (RULES)